न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 69 / 2017
वाद दायरी दिनांक : 20 / 06 / 2017
निर्णय दिनांक : 03/07/2019

बिरदाराम पुत्र सुवा, जाति गुर्जर, निवासी श्योपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
— वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
— प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणात्मक व इन्द्राज दुरूस्ती

श्री मैरू लाल शर्मा
उपस्थिति – श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 03/07/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2075 के खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 23, 40, 41, 126 कुल किता 04 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर मे स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी बिरदाराम पुत्र गोपीराम के दर्ज है, जो गलत है वास्तविक रूप से बिरदाराम पुत्र सुवा के दर्ज की जानी चाहिये। इस प्रकार सुवा के छीतर व बिरदाराम दो जायन्दा पुत्र थे, गोपी रिश्ते में चाचा लगता था, तथा विवादित भूमि में वादी की वल्दियत सुवा के बजाय गोपी गलत दर्ज कर दी गयी जो काबिले दुरूस्त हैं। गोपी व सुवा एक ही परिवार में रहते थे तथा कर्ता खानदान सुवा रहा हैं। गोपी परिवार में चाचा लगने से विवादित भूमि में वादी के वल्दियत गोपी की दर्ज कर दी गयी है, परन्तु वादी जमाना जागीरसे ही उक्त भूमि का बहैसियत खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज चला आ रहा हैं। उक्त सम्पति वादी की सम्पति है, जिस पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि वादी से सम्बन्धित है तथा ग्राम श्योपुरा में बिरदा पुत्र गोपी के नाम से अन्य व्यक्ति कोई न तो पूर्व में रहा है तथा न ही आज

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

रह रहा है न ही विवादित भूमि का किसी व्यक्ति से कोई सम्बन्ध व सरोकार हैं। इस प्रकार विवादित भूमि वादी की है एवं मौके पर वादी काबिज काश्त है। उक्त गलत इन्द्राज की प्रथम बार जानकारी वादी को दिनांक 19/05/2017 को राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई है तत्पश्चात वादीगण को उक्त वल्दियत दुरूस्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25/05/2017 को उक्त नाम का दुरूस्त कर देने से मना करने पर उक्त वाद पेश किया गया हैं।

वादी ने वाद-पत्र के अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी डिक्री फरमायी जाकर घोषणा खातेदारी इस आशय की फरमायी जावे कि आराजी खसरा नम्बर 23, 40, 41, 126 कुल किता 04 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर का वर्तमान इन्द्राज बिरदा पुत्र गोपी हजफ फरमाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार दूदू को लिखा जावें। खसरा नम्बर 23, 40, 41, 126 कुल किता 04 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर में वर्तमान इन्द्राज बिरदा पुत्र गोपी हजफ फरमाया जाकर बिरदा पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी श्योपुरा तह0 दूदू अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 29/08/2018 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1, 2 व 3 बिरदाराम, श्योजीराम व बाबूलाल के शपथ पत्र पेश किये गये, जिन पर दिनांक 08/01/2019 को गवाहान के बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात परिचय-पत्र, मिलान क्षैत्रफल जमाबन्दी सम्वत 2023 खाता संख्या 56 वाके ग्राम श्योपुरा आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 56 के अनुसार खातेदार बिरधा पुत्र गोपी कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान-पत्र में वादी का नाम बिरदा पुत्र सुवालाल आधारकार्ड में बिरदा पुत्र सुवालाल दर्ज हैं। वादी ने जो सिजरा पेशकिया है, उसके अनुसार भी वादी के पिता का नाम सुवा ही है, गोपी तो वादी का रिश्ते में चाचा लगता हैं, जिससे

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

यह साबित है कि राजस्व रिकार्ड में जो वादी के पिता का नाम गोपी दर्ज किया गया है, वह मात्र सहवन से लिपिकीय भूलवश हुआ है, जबकि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम सुवा है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये। साक्ष्य गवाहान ने भी वादी के वाद की पूर्णतया ताईद की हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नमबर 23, 40, 41, 126 कुल किता 04 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज इन्द्राज बिरदाराम पुत्र गोपीराम को हजफ किया जाकर बिरदाराम पुत्र सुवाराम के नाम खातेदारी दर्ज की जाती हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03/7/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)

मुद्रा

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..12

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

बिरदाराम पुत्र सुवा राम जाति बनाम तहसीलदार तहसील दूदू

नि० श्योपुरा दावा बाबत घोषणात्मक व इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं. 69/2012 सन

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भैरूलाल शर्मा एड०

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी एड०

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वाद-ग्रस्त आराजी खाता सं० 56 के आराजी ख० न० 23, 40, 41, 126 कुल किता 04 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर मे दर्ज इन्द्राज बिरदाराम पुत्र गोपीराम को खारिज किया जाकर बिरदाराम पुत्र सुवाराम के नाम खातेदारी दर्ज की जाती है।

निज मुवक्किल वकील

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद नशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 07 सन् 2019 को

जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा दूदू

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Shekhawat
Date: 2019.11.25 11:39:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: